

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,
 7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380014
 दूरभाष: (079) 26303612 ई-मेल: ccuahmetabad@gmail.com फैक्स: (079) 26303607

स्थापना आदेश सं. - 25/2014

दिनांक: 13 जून, 2014

विषय : अधीक्षक की श्रेणी में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण - 2014 के बारे में ।

अधीक्षक की श्रेणी में निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती आगामी आदेश तक तुरंत प्रभाव से आदेशित की जाती है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम: सर्व श्रेणी	कहाँ से	कहाँ
1	श्री आर. डी. भारद्वाज	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट	अहमदाबाद क्षेत्र
2	श्री पी. एन. पांडे	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
3	श्री डी. एच. तेंदुलकर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
4	श्री जे. आर. मुलतानी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
5	श्रीमती यू.डी. आशापुरम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
6	श्रीमती रेखा चावड़ा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
7	श्री आर.एन. परमार	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर	अहमदाबाद क्षेत्र
8	श्री बी. एल. अग्रवाल	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट	अहमदाबाद क्षेत्र
9	श्री ए. एच. दिघे	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट	अहमदाबाद क्षेत्र
10	श्री डी. के. वाघेला	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र
11	एच. पी. जडेजा	सीमा शुल्क, काडला	राजकोट क्षेत्र
12	छोटेलाल मीणा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद - III	राजकोट क्षेत्र
13	श्रीमती अन्नमा राय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद - II	राजकोट क्षेत्र
14	पी. बी. जोशी	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र
15	रामफूल मीणा	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र
16	गोबिंद झा	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र
17	फणी भूषण	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र
18	हर सहाय मीणा	सेवा कर, अहमदाबाद	राजकोट क्षेत्र

02. राजकोट क्षेत्र में तैनात अधीक्षकों की विस्तृत तैनाती राजकोट क्षेत्र के आयुक्तों की समिति द्वारा निर्णीत की जायेगी और तदनुसार आवश्यक आदेश आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट द्वारा जारी किये जायेंगे।

03. अधीक्षकों के राजकोट क्षेत्र और अहमदाबाद क्षेत्र में स्थानांतरण/ रिटेंशन के लिए प्राप्त सभी अभिवेदनों का निपटान कर लिया गया है तथा आगे कोई अभिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्रमशः ...2...

:: पृष्ठ संख्या 2 ::

04. क्रम संख्या 5 से 10 तक के अधीक्षकों को स्थानांतरण निजी अनुरोध पर किया गया है, इस कारण वे स्थानांतरण यात्रा भत्ता/DA एवं कार्यग्रहण अवधि के लिए हकदार नहीं हैं।

05. उपरोक्त सभी अधिकारियों को 04.07.2014 के अपराहन में कार्यमुक्त समझा जायेगा यदि उनके निरीक्षणकर्ता अधिकारी उन्हें इससे पहले कार्यमुक्त नहीं करते हैं।

06. आयुक्तों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्यमुक्त होने वाले अधिकारियों ने अपने अनुगामी / उनका कार्यभार लेने वाले अधिकारी को कार्यभार देने संबंधी उचित नोट सौंप दी है।

07. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(समीर चिटकारा)

अपर आयुक्त

दिनांक: 13.06.2014

फा. सं. 11/03-02/CCO /2014

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I/II/III/ सेवा कर, अहमदाबाद/ राजकोट/ भावनगर।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद/जामनगर/काडला।
5. सामान्य सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वर्ग 'ख' राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी संघ, अहमदाबाद/ राजकोट।
6. मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (स्थापना), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I।
7. व्यक्ति विशेष।
8. गार्ड फाइल।
9. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I। (इस आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध किया जाता है)।